संख्या-187/2026/1292/35-4-2026/35-4099/43/2025

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर , 2026

विषय – जनपद वाराणसी में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक -614/त्व0आ0वि0यो0-2024-25/2026-27, दिनांक: 07 अगस्त,2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-54/2025/386/35-4-2025/35-4099/43/2025, दिनांक: 31 मार्च, 2025 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 08 कार्यों की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-वाराणसी में शासनादेश संख्या-54/2025/386/35-4-2025/35-4099/ 43/2025, दिनांक: 31 मार्च, 2025 द्वारा स्वीकृत 08 कार्यों की रू0 348.84 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 174.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- अत: एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि व बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष रू0 171.08 लाख (रूपये एक करोड़ इकहत्तर लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 में)

क्र0	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत (जीएसटी सहित)	निविदा की लागत	अन्य कर मदों में (जीएसटी की धनराशि)	कार्य की लागत (जीएसटी सहित) (नियमानुसार जोड़ने पर) (4 +5)	कुल बचत (3-6)	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	देय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अर्जुनपुर गेट से तक्खू की बौली होते हुए वाराणसी भदोही मुख्य मार्ग तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	73.86	62.027	11.16486	73.19186	00.66814	36.93	36.26186
2	तक्खू की बौली सेवापुरी से भदोही वाराणसी मार्ग से जय सिंह वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	37.08	31.135	5.6043	36.7393	0.3407	18.54	18.1993
3	बरकी में कछवां कपसेठी मार्ग से पूरेनंदा तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	55.84	46.887	8.43966	55.32666	0.51334	27.92	27.40666
4	रैसीपुर पटेल बस्ती से रामपुर पिच रोड तक मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	30.13	25.183	4.53294	29.71594	0.41406	15.06	14.65594
5	विधान सभा सेवापुरी में तेनवई मुसहर बस्ती से खण्डा पटेल	30.53	25.62	4.6116	30.2316	0.2984	15.26	14.9716

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	चौराहा तक रोड तक रोड निर्माण							
6	ठठरा जूनियर हाई स्कूल से रमेश सिह के गेट से होते हुए मौर्या बस्ती से नहर मार्ग होते हुए कपसेठी रोड तक नव निर्माण कार्य।	47.02	39.480	7.1064	46.5864	0.4336	23.51	23.0764
7	भीषमपुर लालपुर से भीषमपुर राजभर बस्ती तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	35.79	30.040	5.4072	35.4472	0.3428	17.89	17.5572
8	ग्राम सभा मुरूई में वंशनरायन के घर से दुर्गा माता मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य	38.59	32.410	5.8338	38.2438	0.3462	19.29	18.9538
	योग	348.84	292.782	52.70076	345.48276	3.35724	174.40	171.08

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2025 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि व्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र भी नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराते हुए पोर्टल पर अपलोड काराया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप, संख्या: 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक: 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रु0 1,71,08,000/-(रूपये एक करोड़ इकहत्तर लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्ष-5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप, संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक: 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या -187/2026/1292(1)/35-4-2026/35-4099/43/2025, तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
10. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन।
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, वाराणसी।
13. अधिशासी अभियंन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग वाराणसी ।
14. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।